संयोजनों के अन्तरित करने के लिए प्रक्रिया

केवल पी० टी० डब्ल्यू० संयोजन को (क) वेधन की असफलता, और (ख) उपभोक्ता के अनुरोध पर चकबन्दी में नियम भू-खण्ड की स्थिति के परिवर्तन के मामले में और बी० डी० ओ० से वेधन की असफलता प्रमाण-पत्र या राजस्व विभाग की चकबन्दी के कारण भू-खण्ड की स्थिति के परिवर्तन के प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर अन्तरित किया जा सकता है। उपभोक्ता से व्यय आंकड़ा पुस्तिका के रूप में सभी आवश्यक प्रभारों का निक्षेप करने और संयोजन को अन्तरित करने के पूर्व विद्युत बकायों का भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी। किसी न्यायालय में लम्बित विवाद के मामले में संयोजन को अन्तरित किये जाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। पी० टी० डब्ल्यू० के अतिरिक्त अन्य मामले में संयोजन के अन्तरण की केवल असाधारण परिस्थितियों के अधीन अनुज्ञा दी जा सकेगी, जिसके लिए एम० डी० की समुचित स्वीकृति आवश्यक होगी।